सिंह राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(जी. एस. सिंघवी, *न्यायमूर्ति*)

.

जी.एस .सिंघवी और एस.एस. *सुधालकर, न्यायमूर्ति के समक्ष*

सिंह राम - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 की सं. 15953
24 मई, 1996

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 - धारा 7 और 9 - *संविधान (73वां)* संशोधन अधिनियम, 1994 - अनुच्छेद *243 से* 243-0 - *जनगणना अधिनियम, 1948 - धारा* 17 - *सभा क्षेत्र* का सीमांकन - धारा *7 (2)* में निम्नलिखित *विधि प्रदान* की गई है: *पिछली पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना में निर्धारित जनसंख्या के आधार पर सीमांकन - उप-मंडल अधिकारी, गुड़गांव, जनसंख्या के आंकड़ों का निर्धारण दशकीय जनगणना के आधार पर नहीं बल्कि अनुसूचित जातियों/बीसी की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर करता है - सीटों का आरक्षण संविधान के* 73वें संशोधन और 1948 अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़ी *गई धारा 7 (2)* के मद्देनजर *पिछली दशकीय जनगणना, यानी 1991 की जनगणना को छोड़कर किसी अन्य सामग्री पर आधारित नहीं हो सकता है*।

अभिनिर्धारित किया कि जनगणना करने के उद्देश्य से, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। 1948 के अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है जिसमें भारत के पूरे या कुछ क्षेत्रों में जनगणना करने के अपने इरादे की घोषणा की जाती है। धारा 17 में जनगणना रिपोर्टों से सांख्यिकीय सार प्रदान करने का प्रावधान है। यह जनगणना आयुक्त या जनगणना संचालन के किसी निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति को अधिकार देता है जो राज्य सरकार इस संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर जनगणना रिपोर्टों का सार तैयार करने के लिए अधिकृत करे, जो रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं किया गया हो। 1948 के अधिनियम के उपबंधों को छोड़कर, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, जो भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी क्षेत्र की जनसंख्या निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने या रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार देता है। हमारी यह भी राय है कि यदि ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है, तो भी यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एफ), 243 (डी) और अधिनियम की धारा 2 (एक्सलिव) और धारा 7 और 9 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में जनसंख्या के निर्धारण के उद्देश्य से अप्रासंगिक होगा। 'जनसंख्या' शब्द की स्पष्ट और स्पष्ट परिभाषा और किसी अन्य प्रावधान की अनुपस्थिति में यह दर्शाता है कि सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास जनसंख्या के किसी अन्य आंकड़े पर विचार करने की शक्ति है, यह माना जाना चाहिए कि धारा 7 (2) के प्रावधान के साथ-साथ धारा 9 (1) और 9 (4) को ध्यान में रखते हुए, पिछली पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों को केवल सभा क्षेत्र के निर्धारण के साथ-साथ ग्राम पंचायत आदि में सीटों के आरक्षण के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और सरकार द्वारा सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जा सकता है।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार, 1991 की जनगणना रिपोर्ट (विधिवत् प्रकाशित) में निहित जनसंख्या के आंकड़ों को पूरे हरियाणा राज्य में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया है। ऐसा करने के बाद, प्रतिवादी-राज्य और उसकी एजेंसियों के लिए यह कहना खुला नहीं है कि वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट में निहित आंकड़े यथार्थवादी नहीं हैं। दूसरे, संविधि में एक स्पष्ट प्रावधान के सामने, न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह कानून के प्रावधान की व्याख्या उन विचारों के आधार पर करे जो संविधि से असंगत हैं। यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि जब संविधि की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है, तो न्यायालय को क़ानून की भाषा को पूर्ण अर्थ देना चाहिए और कुछ अस्पष्टता खोजने की पद्धति का सहारा नहीं लेना चाहिए और फिर कठिनाई, असुविधा और बेतुकेपन के नियम पर लागू करना चाहिए। हमारी यह भी राय है कि इस मामले में कठिनाई या असुविधा की दलील नहीं उठाई जा सकती है क्योंकि संविधि में नियोजित सरल भाषा को प्रभावी बनाकर आरक्षित सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यह आंकड़ा वही रहेगा। अंतर केवल इतना होगा कि गांव 'ए' के बजाय, गांव 'ई' या गांव 'सी' को 1991 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित सीट के रूप में घोषित किया जा सकता है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से सी. बी. गोयल, अधिवक्ता।
आर. एन. रैना, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए।

निर्णय

जी. *एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति*

(1) इन याचिकाओं में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, 1994 का अधिनियम) की धारा 7 और 9 में निहित प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्धारण शामिल है।

(2) 1994 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15953 श्री सिंह राम द्वारा दायर किया गया है जो गांव बसई, तहसील और जिला गुड़गांव के निवासी और मतदाता हैं। उनकी शिकायत यह है कि यद्यपि अधिनियम की धारा 7 (2) के प्रावधानों के अनुसार, सभा क्षेत्र का सीमांकन पिछली पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना के आधार पर निर्धारित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है और ग्राम पंचायत के लिए सीटों का आरक्षण भी क्षेत्र की कुल आबादी को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी-हरियाणा सरकार ने वर्ष 1994 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मनमाने ढंग से निर्धारित जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखा है। याचिकाकर्ता ने गुड़गांव के उप-विभागीय अधिकारी (नागरिक) द्वारा जारी अनुलग्नक पी 5 की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसमें ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचों की आरक्षित सीटों की घोषणा की गई है। याचिकाकर्ता ने एक बयान दिया है कि 1991 की जनगणना के आधार पर प्रकाशित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार। बसई के सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3387 है, जिसमें से 901

अनुसूचित जाति और 700 पिछड़ा वर्ग हैं, लेकिन प्रतिवादी-उपखंड अधिकारी ने 1066 अनुसूचित जातियों और 397 पिछड़े वर्गों के साथ 3549 की कुल आबादी के आधार पर अनुलग्नक पी 5 जारी किया है। रिट याचिका में कहा गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों के प्रयोजनों के लिए वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है, जबकि ग्राम पंचायत के चुनाव के प्रयोजनों के लिए, वर्ष 1994 में निर्धारित जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है।

(3) प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिका का विरोध किया गया है। उत्तरदाताओं 1 से 5 की ओर से दायर एक संयुक्त उत्तर में, यह कहा गया है कि पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान बसई गांव की आबादी में वृद्धि हुई है और जिला गुड़गांव के आसपास के गांवों की आबादी में भी इसी तरह की वृद्धि हुई है और इसलिए, 1994 के सर्वेक्षण को जनसंख्या का आधार माना गया है। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि यह तरीका केवल ग्राम पंचायतों के लिए अपनाया गया था, न कि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। प्रतिवादियों ने यह भी दलील दी है कि सभा क्षेत्र का सीमांकन पिछली दशकीय जनगणना की जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि 1994 के वर्तमान सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था।

(4) श्रीमती मधु बख्शी द्वारा 1994 के सी.डब्ल्यू.पी. सं.15882 को अनुलग्नक पी-6 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत सरपंचों की सीटों का आरक्षण घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता-मधु बख्शी ने कहा है कि वह सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में गांव दुलियानी, तहसील और जिला अंबाला की ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन 29 सितंबर, 1994 के आदेश अनुबंध पी 6 द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त, अंबाला ने गांव दुलियानी को सरपंच के पद के चुनाव के उद्देश्य से आरक्षित माना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देश के तहत मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कुछ सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घोषित मूल सूची में, अनुलग्नक पी 3 के *तहत* दुलियानी गांव आरक्षित गांव में नहीं था, लेकिन अधिकारियों द्वारा किए गए मनमाने सर्वेक्षण के आधार पर, आदेश अनुलग्नक पी 6 पारित किया गया है जिसमें दुलियानी को आरक्षित सीट घोषित किया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1991 में दुलियानी की कुल आबादी 1384 थी, जिसमें से 697 अनुसूचित जाति के थे और 24 अन्य गांवों में अनुसूचित जातियों की आबादी दुलियानी से अधिक थी और इसलिए, इसे उन गांवों की सूची में शामिल नहीं किया गया था जहां सरपंच की सीट आरक्षित थी। याचिकाकर्ता ने मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण के निर्धारण पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि जनगणना रिपोर्ट के अलावा जनसंख्या के संबंध में किसी भी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) उत्तरदाता 1 और 2 के उत्तर में, यह स्वीकार किया गया है कि मत्स्य विकास अधिकारी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1642 में से 826 पाई गई थी और इसलिए, दुलियानी को आरक्षित सीट के रूप में घोषित किया गया है। अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है कि मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गांव दुलियानी में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 826 है और 25 सितंबर, 1994 को तैयार वार्ड बंदी रजिस्टर और आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार और अनुसूचित जाति की आबादी के कुल प्रतिशत के आधार पर आरक्षण कर दिया गया है।

(6) अपने जवाब में, ग्राम पंचायत दुलियानी की सरपंच पाली देवी ने अनुरोध किया है कि सीट का आरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया गया है और याचिकाकर्ता जो सामान्य श्रेणी से संबंधित है, उसे प्रतिवादियों के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

(7) श्री मुन्नी लाल, जो ग्राम पंचायत दुलियानी के पूर्व सरपंच हैं और जिन्हें रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था, ने एक अलग उत्तर दायर किया है और अनुरोध किया है कि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार मत्स्य विकास अधिकारी अनुसूचित जाति की आबादी 816 है जो कुल जनसंख्या का 5013 प्रतिशत है। इसलिए, आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा किए गए आरक्षण को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

(8) संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग-IX को संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243-0 शामिल हैं। अनुच्छेद 243 में विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ शामिल हैं। अनुच्छेद 243 (डी) में पंचायत शब्द को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-बी के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। खंड (ङ) में 'पंचायत क्षेत्र' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र है। अनुच्छेद 243 के खंड (एफ) में 'जनसंख्या' शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है पिछली पूर्ववर्ती जनगणना में निर्धारित जनसंख्या, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। अनुच्छेद 243-बी किसी राज्य पर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन करने का कर्तव्य लगाता है। अनुच्छेद 243-ग पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243-डी सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 (एफ) और अनुच्छेद 243-डी (1 से 4) इस निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और इसलिए, उन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: –

"243(च) जनसंख्या से वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसका निर्धारण पिछली पूर्ववर्ती जनगणना में किया गया था जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

243-डी। सीटों का आरक्षण। (1) सीटें आरक्षित होंगी
के लिए -

1. अनुसूचित जातियां; और
2. अनुसूचित जनजाति,

प्रत्येक पंचायत में और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निष्क्रिय की जाने वाली सीटों की कुल संख्या का लगभग जितना हो

सके, उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बराबर होगी, जो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बराबर है और ऐसे स्थानों को बारी-बारी से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जा सकता है।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसे स्थान पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित किए जा सकते हैं।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किए जाएंगे जो किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंध करे:

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का लगभग जितना हो सके, उतना ही अनुपात होगा जितना राज्य में अनुसूचित जातियों या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के बराबर है:

बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालयों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा:

परन्तु यह भी कि इस खंड के तहत आरक्षित कार्यालयों की संख्या प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंचायतों को बारी-बारी से आवंटित की जाएगी।

(9) 1994 का अधिनियम संविधान के भाग-IX में निहित अधिदेश को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। धारा 2 (44) में 'जनसंख्या' शब्द की परिभाषा शामिल है जो संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (एफ) का आभासी पुनरुत्पादन है। धारा 2 (42) 'पंचायत क्षेत्र' को ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2 (13) के अनुसार, 'पंचायत समिति' का अर्थ अधिनियम के तहत गठित एक पंचायत समिति से है, जिसका क्षेत्राधिकार मॉक एरिया पर है, धारा2 (72) 'जिला परिषद' को अधिनियम के तहत जिला स्तर पर गठित जिला परिषद के रूप में परिभाषित करती है। अधिनियम का अध्याय-III सभा क्षेत्र, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की स्थापना और गठन से संबंधित है। धारा 8 सरकार को अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायत स्थापित करने और गठित करने का अधिकार देती है। धारा 9 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 7 (2) और धारा 9 (1 से 4) और (7) का इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए, उन्हें नीचे भी पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"7 (2) जनसंख्या का पता पिछली पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना के आधार पर लगाया जाएगा, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

9(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और आरक्षित सीटों की संख्या उस पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के समान होगी जिस अनुपात में उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के संबंध में पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है और ऐसे स्थान अधिकतम वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएँगे। अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसी सीटें बारी-बारी से और उपधारा (1) के तहत आरक्षित विभिन्न वार्डों को आवंटित की जा सकती हैं।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसी सीटें उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत आने वाले स्थानों को छोड़कर पंचायत में विभिन्न वार्डों में बारी-बारी से और बहुत से टीबी द्वारा आवंटित की जा सकती हैं।

(4) एक ब्लॉक में ग्राम पंचायत में सरपंचों का कार्यालय अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा:

परन्तु ब्लॉक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंचों के कार्यालयों की संख्या, ब्लॉक में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या का उतना ही अनुपात वहन करेगी जितना राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के बराबर है:

बशर्ते कि ब्लॉक में सरपंचों के कार्यालयों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों की महिला सरपंचों के एक-तिहाई कार्यालय शामिल हैं:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत आरक्षित सरपंचों के कार्यालयों की संख्या को विभिन्न ग्राम पंचायतों में बदल दिया जाएगा, पहले जहां अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक अधिकतम आबादी है और दूसरा ऐसे वर्गों की दूसरी सबसे बड़ी अधिकतम आबादी है।

(5) and (6) XXXXXXXX

(7) उपरोक्त उप-धाराओं में उल्लिखित सीटों के आरक्षण की समीक्षा प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद की जाएगी।

(10) अधिनियम का अध्याय-VII पंचायत समितियों से संबंधित है। धारा 55 सरकार को किसी जिले को ब्लॉकों में विभाजित करने का अधिकार देती है। धारा 56 सरकार पर एक

ब्लॉक में अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत समिति का गठन करने का कर्तव्य लगाती है। धारा 57 पंचायत समिति की संरचना से संबंधित है। धारा 58 पंचायत समिति के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करती है धारा 59 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 59 के खंड (1) और (4) उस क्षेत्र और राज्य की जनसंख्या को संदर्भित करते हैं। अध्याय-XIII जिला परिषद से संबंधित है। धारा 117 जिला परिषदों के गठन से संबंधित है जबकि धारा 118 जिला परिषदों की संरचना से संबंधित है। धारा 120 में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। धारा 120 के खंड (1) के अनुसार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण करते समय जिले की आबादी को ध्यान में रखना होगा।

(11) भारत के संविधान के साथ-साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उपर्युक्त सर्वेक्षण से, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद ने प्रत्येक राज्य के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य बना दिया है और साथ ही, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और महिलायोंके पक्ष में सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, । सभा क्षेत्र के निर्धारण के साथ-साथ आरक्षण के प्रयोजन राथ, एक महत्वपूर्ण कारक, जिसे ध्यान में रखा जाना है, वह है संविधान में जनसंख्या शब्द की परिभाषा को शामिल करके, संसद ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट कर दी है अर्थात् जनसंख्या को पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। अधिनियम में जनसंख्या शब्द की इसी परिभाषा को अपनाकर हरियाणा राज्य के विधानमंडल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभा क्षेत्र के सीमांकन और ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सीटों के आरक्षण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए, अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य के उस क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाना है। जनगणना शुरू करने के उद्देश्य से, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। 1948 के अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है जिसमें भारत के पूरे या कुछ क्षेत्रों में जनगणना करने के अपने इरादे की घोषणा की जाती है। धारा 17 में जनगणना रिपोर्टों से सांख्यिकीय सार प्रदान करने का प्रावधान है। यह जनगणना आयुक्त या जनगणना संचालन के किसी निदेशक या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिकृत करे, किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर जनगणना रिपोर्टों का सार तैयार करने का अधिकार देता है, जो रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं किया गया हो। 1948 के अधिनियम के उपबंधों को छोड़कर, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, जो भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी क्षेत्र की जनसंख्या निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने या रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार देता है। हमारा यह भी मत है कि यदि ऐसा कोई प्रावधान मौजूद भी है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (एफ), 243-डी और अधिनियम की धारा 2 (44) और धारा 7 और 9 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में जनसंख्या के निर्धारण के उद्देश्य से अप्रासंगिक होगा। 'जनसंख्या' शब्द की स्पष्ट और स्पष्ट परिभाषा और किसी अन्य प्रावधान की अनुपस्थिति के मद्देनजर यह संकेत देते हुए कि सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास जनसंख्या के किसी अन्य आंकड़े पर विचार करने की शक्ति है, यह माना जाना चाहिए कि धारा 7 (2) के प्रावधान के साथ-साथ धारा 9 (1) और 9 (4) के प्रावधान के अनुसार, पिछली पूर्ववर्ती दशकीय जनगणना के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों को केवल सभा क्षेत्र के निर्धारण के साथ-साथ ग्राम पंचायत आदि में

सीटों के आरक्षण के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और सरकार द्वारा सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जा सकता है।

(12) श्री रैना, विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकार अनुसूचित जातियों की संख्या में वृद्धि को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, जो 1991 की जनगणना के बाद हुई होगी, जिसके आंकड़े राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इसलिए, लागू की गई कार्रवाई को अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही 'जनसंख्या' शब्द को अधिनियम के अनुच्छेद 243 (एफ) या धारा 2 (44) में परिभाषित किया गया हो, लेकिन आरक्षित सीटों के निर्धारण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति की आबादी के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है। हमारी राय में, श्री रैना के इस तर्क को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार, 1991 की जनगणना रिपोर्ट (विधिवत प्रकाशित) में निहित जनसंख्या के आंकड़ों को पूरे हरियाणा राज्य में पंचायत समिति और जिला परिषद में सीटों के आरक्षण के उद्देश्य से ध्यान में रखा गया है। ऐसा करने के बाद, प्रतिवादी-राज्य और उसकी एजेंसियों के लिए यह कहना खुला नहीं है कि वर्ष 1991 की जनगणना रिपोर्ट में निहित आंकड़े यथार्थवादी नहीं हैं। दूसरे, संविधि में एक स्पष्ट प्रावधान के सामने, न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह कानून के प्रावधान की व्याख्या उन विचारों के आधार पर करे जो संविधि से असंगत हैं। यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि जब किसी संविधि की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो, तो न्यायालय को संविधि की भाषा को पूर्ण अर्थ देना चाहिए और कुछ अस्पष्टता खोजने की पद्धति का सहारा नहीं लेना चाहिए और फिर कठिनाई, असुविधा और बेतुकेपन के नियम को लागू करना चाहिए। हमारी यह भी राय है कि इस मामले में कठिनाई या असुविधा की दलील नहीं उठाई जा सकती है क्योंकि संविधि में नियोजित सरल भाषा को प्रभावी बनाकर आरक्षित सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यह आंकड़ा वही रहेगा। अंतर केवल इतना होगा कि गांव 'ए' के बजाय, गांव 'बी' या गांव 'सी' को 1991 की जनगणना के अनुसार निर्धारित जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित सीट के रूप में घोषित किया जा सकता है।

(13) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिकाओं को अनुमति देते हैं और गांव बसई, तहसील और जिला गुड़गांव और दुलियानी, तहसील और जिला अंबाला के सरपंचों की सीटों के आरक्षण को रद्द करते हैं। वर्ष 1994 के सीडब्ल्यूपी संख्या 15953 (राम, सारण) में प्रतिवादी संख्या 5 और 1994 के सीडब्ल्यूपी संख्या 15882 में प्रतिवादी संख्या 3 (श्रीमती पाली देवी) का ग्राम बसई और दुलियानी के सरपंच के रूप में आरक्षित सीटों पर निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है और निरस्त किया जाता है। आधिकारिक प्रतिवादियों को बसई और दुलियानी गांवों के सरपंचों के कार्यालय के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया जाता है। यह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। तब तक मौजूदा पदाधिकारियों को कार्यालय में बने रहने की अनुमति दी जाएगी ताकि ग्राम पंचायतों के काम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आर.एन.आर.

सिंह राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(जी. एस. सिंघवी, *न्यायमूर्ति*)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी